शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- सीपी 1209 /29-डे0ई0-1-2007-सीपी 27/2006

प्रेषक,

श्री नवल किशोर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद डेस्क इकाई-1 लखनऊ :: दिनांक :: 07 नवम्बर, 2007

विषय : **दिनांक 31 जुलाई, 2007 तक प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में रिक्त हुये अध्यक्ष, सामान्य एवं महिला सदस्यों के पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रेस विज्ञप्ति संख्या- सीपी 1133/29-डे0ई0-1-2007-सीपी 27/2006, दिनांक 07 नवम्बर, 2007 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के प्रत्येक संस्करण में दिनांक 08 नवम्बर, 2007 को **निःशुल्क** प्रकाशित करवाते हुये इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
/
(नवल किशोर)
विशेष सचिव।

संख्या -सीपी 1209 (1)/29-डे0ई0-1-2007-सीपी 27/2006, दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि -

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया संलग्न प्रेस विज्ञप्ति संख्या- सीपी 1133/29-डे0ई0-1-2007-सीपी 27/2006, दिनांक 07 नवम्बर, 2007 को **राज्य आयोग की वेबसाइट पर रखने एवं निर्धारित तिथि में राज्य आयेाग को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों को शासन में दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 तक समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की कृपा करें।**

(2) संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वह संलग्न प्रेस विज्ञप्ति संख्या- सीपी 1133/29-डे0ई0-1-2007-सीपी 27/2006, दिनांक 07 नवम्बर, 2007 को अपने नोटिस बोर्ड पर जनसामान्य के सूचनार्थ चस्पा कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(जवाहर लाल)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद डेस्क इकाई-1
संख्या- सीपी 1133/29-डे0ई0-1-2007-सीपी 27/2006
लखनऊ :: दिनांक :: 07 नवम्बर, 2007

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के अधोअंकित जिला उपभोक्ता फोरमों में उनके सम्मुख अंकित अध्यक्ष/सदस्य के पद दिनांक 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार रिक्त हैं :-

क्रमांक	जिला फोरम का नाम	अध्यक्ष पद	सामान्य सदस्य पद	महिला सदस्य पद
1	सोनभद्र	एक पद	----	----
2	आगरा प्रथम	एक पद	----	----
3	मुजफ्फरनगर	एक पद	----	एक पद
4	बलिया	एक पद	----	----
5	मुरादाबाद द्वितीय	एक पद	----	-----
6	बलरामपुर	---	----	एक पद
7	सहारनपुर	----	एक पद	-----
8	फैजाबाद	----	एक पद	----
9	देवरिया	---	एक पद	----
10	फर्रुखाबाद	----	एक पद	----
11	लखनऊ प्रथम	----	----	एक पद
12	लखनऊ द्वितीय	----	एक पद	एक पद
13	उन्नाव	----	एक पद	----
14	लखीमपुर खीरी	----	एक पद	एक पद
15	गाजीपुर	----	एक पद	----
16	अलीगढ़	----	----	एक पद
17	एटा	----	----	एक पद
18	पीलीभीत	----	एक पद	एक पद
19	बाराबंकी	----	----	एक पद
20	महराजगंज	----	----	एक पद
21	कानपुर नगर	----	----	एक पद
22	रायबरेली	---	---	एक पद
23	मीरजापुर	---	---	एक पद
24	गाजियाबाद	---	---	एक पद
25	मुरादाबाद प्रथम	-----	-----	एक पद
26	श्रावस्ती	-----	-----	एक पद
27	चन्दौली	-----	-----	एक पद
28	रामपुर	-----	-----	एक पद
	कुल पद	05	09	18

....2/-

उक्त पदों पर नियुक्ति के उपरांत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा - 10 के अनुसार जिला फोरम का प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठं वर्ष की आयु तक जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

जिला फोरम का कोई सदस्य अन्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा परन्तु यह इस शर्त के अधीन है, कि वह निम्नलिखित बिन्दु संख्या- (ब) तथा (ब.1) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तो की पूर्ति करता है। ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 08 दिसम्बर, 2007 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

(अ) <u>अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अर्हता</u>

एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने योग्य है।

(ब) <u>सामान्य (पुरूष) एवं महिला सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता</u>

(1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो।
(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों,
(3) योग्यता, सत्यनिष्ठा, और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, और जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्य अथवा प्रशासन संबंधी समस्याओं से संव्यवहार करने का पर्याप्त ज्ञान हो एवं कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो,

(ब.1) परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अनर्हित होगा यदि वह-

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या
(ख) उन्मुक्त दिवालिया है, या
(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या
(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या
(ङ) राज्य सरकार की राय में ऐसा वित्तीय हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या
(च) ऐसी कोई अन्य निरर्हता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, 2, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ अथवा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद डेस्क इकाई-1, उत्तर प्रदेश शासन में सीधे प्रेषित किया जायेगा।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने, एवं निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर स्वतः निरस्त समझे जायेगें।

.....3/-

नोट –

(1) शासनादेश संख्या- सीपी 696/29-डे0ई0-1-2007-सीपी 27/2006 टीसी, दिनांक 24 मई, 2007 के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति के क्रम में इन पदों पर नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र, पुराने प्रारूप में, दे चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर यथा समय विचार किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की बेवसाइट http://scdrc.up.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(जवाहर लाल)
अनु सचिव
खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष/सदस्य के पद नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व प्रमाणित
फोटो चिपकायें

1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)
3.(क) आयु - ....वर्ष ...... माह ...... दिन
4. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र सहित)
5. विशेष योग्यता (यदि कोई हो)
6.(क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्योरा
(अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा कर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन)
(ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं :
(समुचित प्रमाण पत्र/साक्ष्य सहित)
7. स्थायी पता
8. पत्र व्यवहार का पता
9. वर्तमान व्यवसाय
10. पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो
(प्रमाण पत्र सहित)
11. श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग)
(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)
12. राजनैतिक दल से सम्बद्धता, यदि कोई है, तो किस दल से
13. किस जिला फोरम हेतु आवेदन कर रहे हैं
14. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण
क. पिता
ख. पति/पत्नी
15. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी जिला फोरम के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें।
16. यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण
17. अन्य विवरण, यदि कोई हो

तिथि
स्थान

(अभ्यर्थी का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर)

घोषणा पत्र

मैं .... घोषणा करता/करती हूं कि :- (1)मैने विज्ञप्ति की गई पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी है। वह मुझे मान्य हैं और वे शर्तें मैं पूरी करता/करती हूं। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें।

(अभ्यर्थी का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर)